न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-126RAAJodhpur2023-65RTA223 Bhuraram Vs Naresh etc

भूराराम पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी पी एण्ड टी कार्यालय के पास सरदारपुरा, जोधपुर। हाल प्लाट नबर 72, पार्श्वनाथ नगर द्वितीय परिहार नगर के अन्दर भदवासीया रोड जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

01. नरेश पुत्र तुलसीराम जाति घांची निवासी गणेश होटल हाल रसाला रोड पुलिये के नीचे घाचियों का बास जोधपुर।
02. परसाराम पुत्र हेमाराम जाति जाट
03. किस्तुरराम पुत्र हेमाराम जाति जाट
04. विशनाराम पुत्र हेमाराम जाति जाट

निवासीगण शिव कॉलोनी, शिकारगढ़ डिगाडी तहसील व जिला जोधपुर।

05. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11 जून 2018 सहायक कलक्टर जोधपुर राजस्व मूल वाद संख्या 25/2018 नरेश बनाम परसाराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री जगदीश प्रजापत, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
श्री ओ.पी. बूब, अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 5

नि र्ण य

दिनांक : 21 मार्च 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर जोधपुर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 25/2018 अनवान नरेश बनाम परसाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11 जून 2018 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 28 मार्च 2023 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया। अपीलांट द्वारा एक अन्य प्रार्थना

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि ग्राम डिगाडी तहसील जोधपुर की सरहद में स्थित खसरा नंबर 117 रकबा 141 बीघा 4 बिस्वा में से रकबा 2.10 बीघा के संबंध में धारा 88, एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद प्रस्तुत कर अपने पक्ष में निष्पादित वसीयत के आधार पर खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11 जून 2018 को वाद जरिये राजीनामा स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी बाबत अपील की अनुमति प्रदान करने पर अपनी बहस में निवेदन किया कि संवत 1999 की खतौनी के अनुसार वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट के पूर्वज सेजूराम का हिस्सा था। सेजूराम जी के देहान्त के बाद दिनांक 5–12–1966 को नामान्तरकरण संख्या 40 के द्वारा सेजूराम जी के स्थान पर अपीलान्ट के पिता भंवरलाल का नाम दर्ज किया गया। पेमाराम ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर सेजू व भंवरलाल द्वारा फर्जी बेचान का हवाला देकर दिनांक 06–02–1975 को नामान्तरकरण संख्या 104 के द्वारा भंवरलाल का नाम राजस्व रेकर्ड से हटा दिया। अपीलान्ट एवं भंवरलाल के अन्य उत्तराधिकारियों को जब इस गलत इन्द्राज की जानकारी हुई तो उन्होने सन् 2011 में सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के न्यायालय में घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती के लिये राजस्व वाद पेश किया जो राजस्व वाद अभी भी विचाराधीन है। इस कारण अपीलान्ट भूमि खसरा नंबर 117 में से 2 बीघा 10 बिस्वा के लिये पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से प्रभावित व्यक्ति है। इस कारण अपीलान्ट को इस डिक्री के विरूद्ध अपील करने का अधिकार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11–6–2018 के विरूद्ध अपील करने की अनुमति प्रदान करने का आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विवादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 117 में से 35 बीघा 6 बिस्वा की खातेदारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा के लिये अपीलान्ट की ओर से सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर में सन् 2011 में किया गया था जो आज भी विचाराधीन है। उक्त दावे की रेस्पोडेन्ट को जानकारी होते हुए भी उन्होने अपीलांट को पक्षकार संयोजित किये बिना, आपसी सहमति से संयुक्त खातेदारी भूमि में से 2 बीघा 10 बिस्वा की डिक्री प्राप्त कर ली, जबकि अपीलान्ट का दावा चलने के दौरान रेस्पोडेन्ट संख्या एक द्वारा किया गया दावा चलने योग्य ही नहीं था। अपीलान्ट के पुत्र पंकज ने पटवारी हल्का से म्यूटेशन आदि की नकले ली तो पटवारी से जानकारी मिली की उनकी 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि की सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा डिक्री पारित की गई है तो अपीलान्ट के पुत्र ने सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के कार्यालय से मालुम किया तो दिनांक 16–3–2023 को उक्त पत्रावली की जानकारी मिली तो उसने दिनांक 17–3–2023 को निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11–6–2018 की प्रमाणित प्रतिलिपि के लिये प्रार्थनापत्र पेश किया, जिस पर दिनांक 20–3–2023 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हुई, तब अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की पूर्ण जानकारी हुई तब से अपील अन्दर मयाद पेश की गई है। अपीलांट द्वारा जानबूझ कर कोई देरी नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अंदर म्याद शुमार फरमायी जावे।

गुणावगुण पर अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि दावे के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी में भूमि खसरा नंबर 117 रकबा 141 बीघा 4 बिस्वा कई व्यक्तियों की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। खसरा नबर 117 में से रकबा 21 बीघा 16 बिस्वा मौके पर किस हिस्से में एवं कहां पर आई हुई है ,उसमें से कौनसी 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि की वसीयत हेमाराम ने वादी के पक्ष में की है, इसका कोई उल्लेख दावे में नहीं बताया गया है। हेमाराम का खसरा नंबर 117 में 21 बीघा 16 बिस्वा हिस्सा किस आधार पर आया है, यह भी दावे में नहीं बताया गया है। कानूनन संयुक्त खातेदारी भूमि में से हिस्सेदार अपने हिस्से का बेचान हस्तान्तरण कर सकता है, लेकिन वह रकबा विशेष का बेचान या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण नहीं कर सकता। विचारण न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध वसीयत के आधार पर रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा की डिक्री पारित करने में गम्भीर विधिक त्रुटी कारित की है। विचारण न्यायालय द्वारा वसीयत दिनाक 24–05–2000 की वैधता की जांच किये

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करने में गम्भीर विधिक त्रुटी की गई है। वादी द्वारा वसीयत को साबित करने के लिये कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। वादी का हेमाराम से कोई संबंध नहीं था। हेमाराम के जीवनकाल में उसके तीन लड़के तथा पत्नी साथ रहते थे, उनके होते हुए किसी अजनबी को अपनी सम्पति की वसीयत विधिवत नहीं की जा सकती है। परिवार के सदस्य होते हुए किसी अजनबी के हक में वसीयत करने का कोई आधार या कारण भी नहीं है। वसीयत में खसरा नंबर 117 में 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि लिखा है जो गलत एवं गैर कानूनी है एवं इस प्रकार की गलत एवं गैर कानूनी वसीयत के आधार पर दावा डिक्री करने में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गम्भीर विधिक त्रुटी की गई है। अगर सामान्य तौर पक्षकार राजीनामा करते है तो न्यायालय उस राजीनामें की वैधता की जांच कर ही आदेश दे सकता है एवं जब प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के कार्यालय में ही चल रहा था तो राजस्व लोक अदालत केम्प का नाम देकर डिक्री करने की क्यो आवश्यकता हुई एवं वह भी बिना वसीयत एवं राजीनामें या सहमति की वैधता की जॉच किये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध प्रक्रिया अपना कर बिना साक्ष्य सबूत के अपीलाधीन डिक्री पारित करने में गम्भीर त्रुटी की गई है। दावे में लिखे तथ्यों के अनुसार खसरा नंबर 117 की 141 बीघा 4 बिस्वा भूमि में से 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि के लिये अनरजिस्टर्ड एवं अनस्टाम्प्ड दस्तावेज के आधार पर वादी का दावा ही चलने योग्य नहीं था। इसके अतिरिक्त अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर कब्जे का हस्तान्तरण भी नहीं हो सकता है तथा संयुक्त खातेदारी भूमि में तो रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर भी रकबा विशेष का कब्जा नहीं दिया जा सकता है। पक्षकारों को इसी भूमि का उसी न्यायालय में दावा विचाराधीन होने की जानकारी के बावजूद सहमति देना एवं उसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करना विधिसंगत नहीं है। हेमाराम के देहान्त के बाद दिनांक 20–10–2003 को ही विवादग्रस्त भूमि हेमाराम के वारिसान के नाम दर्ज हो चुकी थी। कोई भी खातेदार अपना हिस्सा केवल रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर ही छोड सकता है। अनरजिस्टर्ड सहमति पत्र के आधार पर भूमि का हस्तान्तनरण नहीं हो सकता। वादी द्वारा उस इन्द्राज के विरूद्ध 15 साल बाद संदिग्ध वसीयत के आधार पर किया गया दावा ही चलने योग्य नहीं है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को खारिज फरमाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार हेमाराम ने रकबा 2.10 बीघा भूमि की रेस्पोडेंट संख्या एक के पक्ष में वसीयत की थी। हेमाराम की फौतेगदी उपरांत वसीयत की गई भूमि सहित संपूर्ण भूमि उनके वारिसान् के नाम दर्ज हो गई। रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा वसीयत के आधार पर वादग्रस्त आराजी में रकबा 2.10 बीघा के संबंध में स्व. हेमाराम के वारिसान् के विरूद्ध खातेदारी घोषणा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया जो विचारण न्यायालय द्वारा जरिये सहमति एवं राजीनामा से स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेंट संख्या एक को रकबा 2.10 बीघा भूमि का खातेदार घोषित किया गया। रेस्पोडेंट संख्या एक को वसीयत में प्राप्त भूमि के संबंध में अपीलांट को किसी प्रकार के हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। इस कारण अपीलांट हस्तगत अपील में हितबद्ध पक्षकार भी साबित नहीं है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अनुमति बाधित, स्याद बाधित एवं गुणावगुण पर सारहीन पाये जाने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख वसीयतनामा दिनांक 24.05.2000 के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार हेमा पुत्र सुरजमल द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 117 रकबा 141.04 बीघा में सें अपने नाम दर्ज भूमि रकबा 21.16 बीघा में सें रकबा 02.10 बीघा भूमि रेस्पोडेंट/वादी नरेश भाटी पुत्र तुलसीराम के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किया गया है। स्व. हेमा वल्द सुरजमल की फौतेदगी उपरांत वादी/रेस्पोडेंट संख्या एक को वसीयत की गई भूमि सहित संपूर्ण वादग्रस्त आराजी रकबा 21.16 बीघा उनके उनके वारिसान्/प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो जाने से वादी/रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा अपने पक्ष में निष्पादित उक्त वसीयत के आधार पर वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 117 में सें रकबा 2.10 बीघा के संबंध में खातेदारी अधिकारो की घोषणा बाबत विचारण न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है। विचारण न्यायालय में वाद के विचारण के दौरान उभय पक्षकारान् की ओर से संयुक्त हस्ताक्षरित राजीनामा प्रस्तुत कर माफिक राजीनामा वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 117 रकबा 21 बीघा 16 बिस्वा में सें वसीयतनामा दिनांक 24.05.2000 के अनुसार वादी/रेस्पोडेंट संख्या एक को रकबा 2.10 बीघा का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किये

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा राजीनामा स्वीकार किया जाकर माफिक राजीनामा वाद डिक्री किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजीनामा से पारित निर्णय एवं डिक्री मे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पायी जाती है।

अपीलार्थी का कथन है कि वादग्रस्त आराजी उसकी पुश्तैनी खातेदारी की भूमि है, जिसके संबंध में विचारण न्यायालय में खातेदारी अधिकारों की घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद विचाराधीन है तथा वाद के विचाराधीन रहते अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित नहीं किये जा सकते है। इस संबंध में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र की प्रति के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांट द्वारा अपने वाद–पत्र में स्व. हेमाराम के किसी भी वारिसान् को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है तथा न ही उनसे किसी प्रकार का अनुतोष चाहा गया है। फिर भी वादग्रस्त आराजी में अपीलार्थी के पुश्तैनी हिस्से की घोषणा का प्रश्न है, इस बिंदु का निस्तारण अपीलार्थी की ओर से विचारण न्यायालय में प्रस्तुत वाद में जरिये साक्ष्य सिद्ध होना है। ऐसी स्थिति मे अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से अपीलांट के हक व अधिकार प्रभावित नही होने से अपीलांट हस्तगत मामले में हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार नहीं पाया जाता है। लिहाजा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अनुमति बाधित पाये जाने से स्वीकार योग्य नहीं पायी जाती है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट अनुमति बाधित एवं गुणावगुण पर सारहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से तदनुसार खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर जोधपुर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 25/2018 अनवान नरेश बनाम परसाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11 जून 2018 यथावत रखे जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-126RAAJodhpur2023-65RTA223 Bhuraram Vs Naresh etc

अपीलाण्ट

भूराराम पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी पी एण्ड टी कार्यालय के पास सरदारपुरा, जोधपुर। हाल प्लाट नबर 72, पार्श्वनाथ नगर द्वितीय परिहार नगर के अन्दर भदवासीया रोड़ जोधपुर।

ब ना म

रेस्पोडेण्ट

01. नरेश पुत्र तुलसीराम जाति घांची निवासी गणेश होटल हाल रसाला रोड पुलिये के नीचे घाचियो का बास जोधपुर।
02. परसाराम पुत्र हेमाराम जाति जाट
03. किस्तुरराम पुत्र हेमाराम जाति जाट
04. विशनाराम पुत्र हेमाराम जाति जाट निवासीगण शिव कॉलोनी, शिकारगढ़ डिगाडी तहसील व जिला जोधपुर।
05. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11 जून 2018 सहायक कलक्टर जोधपुर राजस्व मूल वाद संख्या 25/2018 नरेश बनाम परसाराम इत्यादि

यह अपील बतारीख 21 मार्च 2025 बहाजरी अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत मिनजानिब अपीलाण्ट, श्री रोशनलाल, श्री ओ.पी. बूब, अधिवक्ता रेस्पो. एवं श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता उपस्थित होकर हुक्म हुआ किअपील अपीलांट अनुमति बाधित एवं गुणावगुण पर सारहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से तदनुसार खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर जोधपुर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 25/2018 अनवान नरेश बनाम परसाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11 जून 2018 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान् वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---00---) रुपये ------00-------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00------ अदा करें।

दसख्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 21 मार्च 2025 को जारी किया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील		1. स्टाम्प वकलातनामा	

2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान		2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर